मध्य प्रदेश परसीमन आयोग

चर्चा में क्यों

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं की पुनः जाँच करने तथा सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाने हेतु **परसीमन आयोग का गठन किया है।**

मुख्य बिंदु

- **परसीमन आयोग का गठन:**
  - इसका उद्देश्य सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाना तथा मौजूदा विसंगतियों को दूर करना है।
    - सागर, उज्जैन , इंदौर और धार जैसे ज़िलों को अपने आकार के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **परसीमन:**
  - **इस प्रक्रिया में प्रत्येक दशकीय जनगणना** के बाद के आँकड़ों के आधार पर **अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST)** के लिये सीटों के आरक्षण सहित सीटों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करना शामिल **है** ।
  - भारतीय संविधान में **प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अनिवार्य किया गया है** ।
    - **अनुच्छेद 82 लोकसभा के लिये सीटों के पुनर्समायोजन को** अनिवार्य बनाता है**,** जबकि **अनुच्छेद 170 राज्य स्तर पर इसी अभ्यास का प्रावधान करता है।** यह प्रक्रिया **केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त **परसीमन आयोग नामक एक शक्तिशाली निकाय द्वारा की जाती है।**
  - **राज्य सरकारें प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिये ज़िलों और संभागों** की सीमाओं को समायोजित करने हेतु परसीमन आयोग की नियुक्ति करती हैं
    - उच्चस्तरीय आयोग का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी करता है। इसके आदेशों में कानून की ताकत होती है और भारत के किसी भी न्यायालय में **इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।**
  - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत परसीमन आयोग **चार बार** स्थापित किये गए हैं - वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
    - पहला परसीमन राष्ट्रपति द्वारा (निर्वाचन आयोग की सहायता से) **वर्ष 1950-51** में किया गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/delimitation-commission-of-madhya-pradesh